

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 7]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 12 फरवरी 2010—माघ 23, शक 1931

भाग ४

विषय-सूची

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) (1) अध्यादेश, | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, | (3) संसद के अधिनियम. |
| (ग) (1) प्रारूप नियम, | (2) अन्तिम नियम. | |

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

खनिज साधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 फरवरी 2010

क्र. 19-1-2010-बारह.—खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, प्ररूप-नौ के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“प्ररूप-नौ

[नियम 29 (7) देखिये]

अभिवहन पास

पास बुक क्रमांक

जिला

अभिवहन पास क्रमांक

पट्टेदार/अनुज्ञा-पत्र धारक/ठेकेदार का नाम

खनिज का नाम
 खदान तथा ग्राम का नाम तहसील
 जिला

उत्खनन पट्टे/अनुज्ञा-पत्र/व्यापार खदान की कालावधि.

1. खदान से भेजने की तारीख समय पूर्वान्ह/अपरान्ह
2. गन्तव्य पर पहुंचने की तारीख समय पूर्वान्ह/अपरान्ह
3. ले जाए जाने वाले खनिज की मात्रा (घन मीटर में)
4. खरीददार का नाम एवं गंतव्य स्थान
 गंतव्य की दूरी कि. मी.
5. ले जाए जाने वाले खनिज का मूल्य
6. ट्रक/ट्रेक्टर का क्रमांक या बैलगाड़ी के स्वामी का नाम

वाहन चालक के हस्ताक्षर

पट्टेदार/अनुज्ञा-पत्र धारक/ठेकेदार/मुंशी
 अधिकृत अधिकर्ता के हस्ताक्षर

टिप्पणी :

- (1) किसी भी प्रकार का उपरिलेखन नहीं होना चाहिए तथा स्पष्ट अक्षरों में भरा जाना चाहिए.
- (2) मूल प्रति वाहक के ड्रायवर (चालक) को दी जानी चाहिए और कार्बन कापी दूसरी पास बुक जारी करने के लिये प्राधिकारी के पास जमा करने हेतु इसी किताब में रखी जावे.
- (3) तारीख तथा समय का न लिखना या उपरिलेखन करना दण्डनीय होगा.
- (4) एक वाहक को प्रत्येक ट्रिप के परिवहन के लिये केवल एक ही अभिवहन पास जारी किया जावेगा.
- (5) अभिवहन पास जारी करने के पूर्व द्विसतही (डबल-साइडेड) कार्बन का उपयोग समस्त प्रविष्टियों को भरने हेतु किया जाएगा.
- (6) गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिये उल्लिखित समय के पश्चात् अभिवहन पास स्वीकार्य नहीं होगा."

No. 19-1-2010-XII.—In exercise of the powers conferred by Section 15 of Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (No. 67 of 1957), the State Government hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Minor Mineral Rules, 1996 namely :—

AMENDMENT

In the said rules, For Form IX, the following form shall be substituted, namely:—

"FORM-IX
 [See rule 29 (7)]

TRANSIT PASS

District

Pass Book No.

Transit Pass No.

Name of the lessee/permit holder/contractor

Name of the Mineral

Name of quarry and village Tehsil

District

Period of quarry lease/permit/trade quarry.

- (1) Date of Dispatch from quarryTime Forenoon/Afternoon
- (2) Date of reaching destinationTime Forenoon/Afternoon
- (3) Quantity of Mineral being carried (in cubic meter)
- (4) Name of purchaser and destination.
Distance of destination.K. m.
- (5) Value of the mineral being carried
- (6) Truck/Tractor No. or Name of the bullock cart owner.

.....
Signature of leassee/permit holder/

Signature of the driver of the carrier

Contractor/Munshi/Authorised agent

Note :---

- (1) No over writing should be done and should be filled up in legible hand writing.
- (2) Original copy should be given to driver of the carrier and carbon copy should be retained in this book for depositing the book back with the authority for issue of next pass book.
- (3) Omission to write date and time or over writing attracts penalty.
- (4) Only one Transit Pass should be issued to one carrier for each trip.
- (5) Before issuing transit passes, double faceted carbon should be used for filling all entries.
- (6) Transit pass shall not be acceptable after the time mentioned for reaching destination."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण कुमार तोमर, उपसचिव.